दिनांक– 10.04.2017 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों से पंचम लघु सिंचाई गणना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, जीवनांक एवं रान्यास के कार्यो की विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– 36 जिला (लिंक उपस्थिति)

अनुपस्थित :– 02 जिला (प०चम्पारण एवं अरवल) लिंक ब्रेक

I. जीवनांक :–

1. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 2016 की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य का औसत, राष्ट्रीय औसत से काफी कम है जिसपर निदेशक महोदया द्वारा खेद व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि माहवार लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि प्राप्त किया जाय साथ ही 80 प्रतिशत से कम की उपलब्धि प्राप्त करने वाले जिलों पर कार्रवाई की जाय।

(अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/जीवनांक प्रशाखा, मु०)

2. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सर्वप्रथम सभी सरकारी अस्पतालों एवं नगर निकायों में शत–प्रतिशत पंजीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाय। इन इकाइयों का नियमित निरीक्षण किया जाय तत्संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. जन्म और मृत्यु का ऑन–लाईन रजिस्ट्रीकरण राज्य के 25 जिलों के सभी सरकारी अस्पतालों एवं नगर निकायों में शुरु किया जा चुका है। परन्तु जमुई, कैमूर, नालन्दा, पूर्वी चम्पारण एवं वैशाली की प्रगति काफी धीमी है। निदेशक महोदया द्वारा संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी रजिस्ट्रीकरण इकाइयों की नियमित समीक्षा कर रजिस्ट्रीकरण में गति लायें।

(अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

4. जन्म और मृत्यु का ऑन–लाईन रजिस्ट्रीकरण राज्य के 13 जिले यथा औरंगाबाद, बांका, दरभंगा, जहानाबाद, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में प्रारंभ नहीं होने पर चिंता व्यक्त करते हुए अप्रैल, 2017 तक ऑन–लाईन रजिस्ट्रीकरण कार्य प्रारंभ करने का सख्त निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

5. जिला शिवहर, बांका, कटिहार, वैशाली एवं नवादा के जीवनांक सांख्यिकी से संबंधित कार्यो की प्रगति संतोषप्रद नहीं रहने के कारण काफी रोष व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया है कि संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी त्वरित गति से प्रगति लायें अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालनः सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/जीवनांक प्रशाखा, मु०)

6. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा जन्म और मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के प्रचार-प्रसार हेतु सहज दृश्य स्थानों पर फ्लैक्स होर्डिंग लगाने हेतु राशि की मांग की गयी जिसपर निदेशक महोदया द्वारा यथाशीघ्र राशि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः- जीवनांक प्रशाखा/बिहार सांख्यिकी तंत्र विकास अभिकरण, बिहार, पटना)

II. कृषि (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- PMFBY)

1. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को स्पष्ट हिदायत दी गई कि रब्बी मौसम में सभी बीमित फसलों यथा- ईख, गेहूँ, चना, राई सरसों, आलू एवं मकई के फसल कटनी प्रयोग में स्मार्टफोन से CCE Agri App के माध्यम से ही आंकड़ों को अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में बिना अपलोड किये गये आँकड़े को मान्यता नहीं दी जायेगी।

(अनुपालनः- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/कृषि प्रशाखा, मु०)

2. बैठक में उपस्थित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा CCE Agri App के Edit/Save Data Open में उत्पन्न समस्या के निराकरण से संबंधित पृच्छा पर निम्नवत् समाधान किया गया :-

i) CCE Agri App का नया Version 1.2.1 डाउनलोड किया जाय। इसमें Auto Backup का System है तथा Data Loss नहीं होता है।
ii) Internol Memory को खाली रखना है।
iii) Andriod Version 4.1 से उपर होना चाहिए।
iv) RAM कम से कम 1 GB होना चाहिए।
v) Switch Off/ Switch on करके देखा जाय।
vi)App से Log out करके पुनः Login करें।

(अनुपालनः- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. CCE Agri App के माध्यम से फसल कटनी के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन दिया गया:-

i. हरा वजन लेने के दिन ही डाटा को अपलोड किया जाय, ऐसी स्थिति में सूखा वजन लेने के पश्चात् डाटा अंकित करने हेतु नोडल पदाधिकारी को सूचित किया जाय।
ii. Thrasing Machine की अनुपलब्धता की स्थिति में पीटकर एवं ओसाकर वजन अंकित किया जाय।

(अनुपालनः- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

4. जिला बक्सर एवं पूर्वी चम्पारण के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कतिपय ग्राम Web Portal पर अंकित नहीं है। इसके निराकारण हेतु निदेशालय के संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि तत्काल भारत सरकार से अपलोड करने हेतु WhatsApp/ पत्र से अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन- राज्य नोडल पदाधिकारी)

5. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 45,145 आयोजित फसल कटनी प्रयोग में से मात्र 794 (1.75%) का CCE डाटा अब तक अपलोड किया गया है। जिस पर निदेशक महोदया द्वारा चिन्ता व्यक्त करते हुए इसमें त्वरित सुधार हेतु प्रतिदिन अनुश्रवण कर शत-प्रतिशत डाटा अपलोड कराने का सख्त निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/राज्य नोडल पदाधिकारी)

6. रब्बी 2016-17 मौसम का अब तक मात्र राई-सरसों का तीन जिलों यथा- पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण एवं शेखपुरा से चार-चार फसल कटनी की अनुसूचियाँ प्राप्त हुई है। शेष जिलों से किसी फसल कटनी का एक भी अनुसूची अब तक प्राप्त नही हुई है। जबकि निदेशालय से संबंधित निर्गत पत्र के अनुसार अब तक 25 प्रतिशत अनुसूचियों की प्राप्ति की अपेक्षा थी। निदेश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर फसल कटनी की अनुसूचियों का प्रेषण सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

7. रब्बी 2016-17 मौसम में फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक मात्र शेखपुरा जिला से अपर समाहर्त्ता का राई-सरसों फसल का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त है। शेष जिलों से निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। निर्धारित मापदंड के अनुसार निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

9. 8(आठ) जिलों यथा- शिवहर, भोजपुर, मधुबनी, रोहतास, जहानाबाद, लखीसराय, किशनगंज एवं गया द्वारा CCE Agri App डाटा अपलोड कार्य प्रारंभ नही किये जाने की स्थिति में इन्हें त्वरित गति से प्रारंभ किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- राज्य नोडल पदाधिकारी/ संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

10. फसल कटनी के संबंध में किसी प्रकार का स्थानीय समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में शेखपुरा जिला के प्रतिनिधि द्वारा पूछे जाने पर निदेशक महोदया द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी/जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति को संज्ञान में लाकर तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

11. एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक पंचायत होने की स्थिति में राजस्व ग्राम को इकाई मानकर फसल कटनी प्रयोग आयोजित किया जाना है। जिसका उपज दर उक्त राजस्व गाँव के सभी पंचायतों के लिए मान्य है। निदेशालय स्तर पर संवीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्राय: एक ही पंचायत का परिशिष्ट-3 प्रेषित किया जा रहा है फलत: उस राजस्व ग्राम से बने शेष पंचायतों का उपज दर प्रेषित नही किया जा सकेगा।

अत: मार्गदर्शित किया गया कि प्रत्येक वैसे राजस्व गाँव से बने सभी पंचायतों का उल्लेख परिशिष्ट-3 में करते हुए(समान आंकड़ा अंकित कर) प्रेषित करना आवश्यक है। परिशिष्ट-2 में भी सभी पंचायत के नाम के कॉलम में सभी पंचायतों का नाम अंकित किया जाय।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

12. **समीक्षा के क्रम में प्राकृतिक कारणों से फसल क्षति के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा पृच्छा किये जाने के आलोक में निदेशालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि चयनित प्लॉट में फसल का आच्छादन हुआ है** और किसी प्राकृतिक कारण यथा-बाढ़, सुखाड़ आदि से फसल बर्बाद हो गया है तो वैसी स्थिति में फसल कटनी प्रयोग सम्पादित किया जायेगा एवं सभी प्रपत्र/परिशिष्ट पूर्ण रूप से भरे जायेंगे, चाहे उपज कुछ भी हो। ज्ञातव्य है कि बिना फसल कटनी प्रयोग आयोजित किये उपज दर प्रेषित नहीं किया जा सकता है और वैसी स्थिति में फसल की क्षति होने पर भी क्षतिपूर्त्ति नहीं दिया जा सकेगा।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

III. पंचम लघु सिंचाई गणना:-

सभी जिलों से ऑनलाईन डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन कार्य हेतु निविदादाता को अनुसूचियाँ उपलब्ध कराने एवं डाटा गैप के संबंध में जिलावार समीक्षा के क्रम में जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों द्वारा लघु सिंचाई गणना के अद्यतन प्रगति से अवगत करायी गई जो निम्नवत् है :-

1. गोपालगंज:- सभी अनुसूचियाँ प्रखंड से प्राप्त है। 1200 डाटा निविदादाता को दे दिया गया है। Village Name mismatch के कारण कार्य बाधित है। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
2. गया:- Village Name mismatch के कारण डाटा इन्ट्री कार्य बाधित है। इस संबंध में पोर्टल पर सुधार हेतु कार्रवाई की जा रही है।
3. मुजफ्फरपुर:- चार प्रखंडों में डाटा गैप ज्यादा है जिसपर कार्रवाई की जा रही है।
4. भोजपुर:- प्रखंडो से 23675 के विरूद्ध 14000 ही डाटा प्राप्त हुए है। डाटा प्राप्ति की कार्रवाई की जा रही है।
5. कटिहार:- 24886 डाटा के विरूद्ध 16000 डाटा वेन्डर को उपलब्ध करा दिया गया है। बारसोई प्रखंड के 30 पंचायत का डाटा नहीं मिला है जिसकी प्राप्ति की कार्रवाई की जा रही है।
6. जमुई:- डाटा उपलब्ध है। वेन्डर को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
7. वैशाली:- 26933 डाटा के विरूद्ध 15382 डाटा निविदादाता को उपलब्ध करा दिया गया है। हमारे पास 250 डाटा उपलब्ध है। शेष डाटा प्रखंड से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
8. जहानाबाद:- कुल 16000 डाटा के विरूद्ध उपलब्ध डाटा 9500 निविदादाता को दिया गया है। शेष डाटा प्रखंडो से प्राप्ति की कार्रवाई की जा रही है।
9. कैमूर(भभुआ):- 19653 डाटा के विरूद्ध 23000 डाटा उपलब्ध है। शेष डाटा निविदादाता को ले जाने के लिए सूचित कर दिया गया है।
10. पटना:- 29930 डाटा के विरूद्ध 19785 डाटा दे दिया गया है। शेष डाटा प्रखंडो से प्राप्त कर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
11. मुंगेर:- 8400 के विरूद्ध 4778 डाटा दिया गया है। 4000 डाटा का पुनः गणना कार्य कराया जा रहा है।
12. बांका:- 8021 डाटा के विरूद्ध 7480 डाटा उपलब्ध है जिसमें 5780 डाटा दिया गया है। शेष डाटा ले जाने के लिए निविदादाता को सूचित कर दिया गया है।

13. सारण:- 29505 डाटा के विरूद्ध 22684 डाटा उपलब्ध है। 5724 डाटा का डाटा गैप है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।
14. बक्सर:- 18723 के विरूद्ध 18291 उपलब्ध है। जिसमें 11500 डाटा पूर्व में निविदादाता को दे दिया गया था। शेष डाटा निविदादाता को ले जाने के लिए सूचित कर दिया गया है।
15. बेगूसराय:- 14757 डाटा के विरूद्ध 15260 डाटा उपलब्ध है। शेष 3000 डाटा निविदादाता को उपलब्ध कराया जा रहा है।
16. सहरसा:- 5829 डाटा के विरूद्ध 3500 डाटा दे दिया गया है। शेष डाटा निविदादाता को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
17. लखीसराय:- कुल 6645 डाटा के विरूद्ध 5459 निविदादाता को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष डाटा प्रखंड से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
18. नवादा:- 16823 डाटा के विरूद्ध 13784 डाटा निविदादाता को दिया गया है। शेष डाटा देने की कार्रवाई की जा रही है।
19. अरवल:- सभी डाटा प्राप्त है। शीघ्र डाटा इन्ट्री कार्य सम्पन्न करा लिया जाएगा।
20. मधेपुरा:- कुल 12879 डाटा के विरूद्ध 9870 डाटा निविदादाता को दे दिया गया है। शेष डाटा भी अविलंब उपलब्ध करा दिया जाएगा।

शेष जिले जिनका डाटा गैप 25 प्रतिशत या उससे कम है, को डाटा गैप अन्तर की जाँच कर डाटा इन्ट्री कार्य अविलंब समाप्त कर लिये जाने का संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया। इस पर निदेशक महोदया द्वारा निदेशित किया गया कि निविदादाता को अविलंब सभी डाटा उपलब्ध कराते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी स्वंय अनुश्रवण कर डाटा इन्ट्री कार्य शीघ्र समाप्त करें। साथ ही डाटा गैप की जाँच कर इसे शुद्ध किया जाए।

(अनुपालन सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

IV. <u>राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण(रान्यास)</u>

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 74वें सत्र के क्षेत्रीय कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सर्वेक्षण के विरूद्व अनुसूचियों की प्राप्ति की स्थिति सहरसा, सिवान, मधुबनी, मुंगेर एवं दरभंगा निरीक्षणालय में काफी खराब है। सर्वेक्षण के उपरांत हर हाल में एक सप्ताह के अन्दर भरी हुई अनुसूचियॉ निदेशालय को उपलब्ध कराना है। सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि निर्धारित सत्रावधि के अन्तर्गत अवशेष बचे प्रतिदर्शो का सर्वेक्षण कर लें। प्रतिदर्श आहत होने की स्थिति में संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को जवाबदेह बनाते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/रान्यास प्रशाखा, मु०)

2. सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अन्वेषकों के अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम अनुवर्त्ती माह के 5वी तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय को लभ्य कराने एवं प्रत्येक माह का मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुवर्त्ती माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. आंकड़ों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को ससमय लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/रान्यास प्रशाखा, मु०)

4. माह मार्च 2017 तक की सर्वेक्षित सभी भरी हुई अनुसूचियाँ एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने हेतु सख्त निदेश दिया गया।

(अनुपालन सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

समीक्षा सधन्यवाद समाप्त की गई।

19/4/17

(पूनम)
निदेशक

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
बिहार, पटना

ज्ञापांक :– DES (योजना शखा) 12/2016/ 656 /पटना, दिनांकः– 19.04.17

प्रतिलिपिः– 1. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव।
2. वरीय संयुक्त निदेशक,/सभी उप निदेशक (मुख्यालय एवं क्षेत्र)/सभी सहायक निदेशक (मुख्यालय)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

19/4/17
निदेशक

ज्ञापांक :– DES (योजना शखा) 12/2016/ 656 /पटना, दिनांकः– 19.04.17

प्रतिलिपिः– श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/4/17
निदेशक